2[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible] दौरे पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/5/18 को पेश हो।

2/5/18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। [illegible] अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/7/18 को पेश हो।

2/7/18 वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पोडेन्ट पूर्व में भी अनु० थे व आज भी अनु०। रेस्पो सं 6 कि तामिल जरिये रजिस्टर्ड नोटिस हो चुकी है कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पो० सं 6 भी अनु०। वकील अपीलान्ट ने तामील प्रमाण पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ कि।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत नामान्तकरण सं 377 का अवलोकन किया गया। नामा० सं 377 के अवलोकन से पाया गया कि नामा० मुन्नाराम कि विरासत का उसके लडको के नाम भरा गया है। जिसको सरपंच ग्राम पंचायत सिरोही द्वारा दिनांक 16-4-1973

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	को स्वीकार किया गया है। जिसमे नामान्तकरण सुवा माला व साद्दू के नाम भरा गया है। अपील में अंकित सजरे व ग्राम पन्चायत द्वारा दिनांक 10-8-2017 को को जारी वंशावली प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक मुन्नाराम के तीन लडके बेगाराम, सुवा, माला बताये है। परन्तु नामान्तकरण भरते समय बेगाराम के स्थान पर साद्दू का नाम दर्ज किया गया है। मुताबिक वंशावली प्रमाण पत्र के साद्दू मृतक मुन्नाराम का पुत्र ना होकर पोत्र है। तथा मृतक मुन्नाराम के लडके बेगाराम का पुत्र है। इससे यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण स्वीकार करते समय ग्राम पन्चायत द्वारा मृतक मुन्नाराम के वारिसान की विधिवत जाच नही कि एवं बिना जाँच किये ही नामान्तकरण स्वीकार करने की कार्यवाही की है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण स्वीकार किया तब मृतक मुन्नाराम के वारिसान को कोई सूचना या नोटिस नही दिया गया है। इसलिए ग्राम पंचायत का आदेश विधि विरुद्ध प्रतीत होता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि नामा० मजमे आम मे स्वीकार नही किया गया है। मुताबिक वंशावली प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक मुन्नाराम के तीन लडके बेगाराम सुवा व माला है इस आधार से नामा० गलत भरा गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है। ग्राम पन्चायत का आदेश दिनांक 16-4-73 बाबत नामान्तकरण सं 377 निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि मृतक मुन्नाराम के वारिसान कि विधिवत जाच कर नामान्तकरण पुनः दर्ज कर फैसल करें। तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जगदीश प्रसाद गौड) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	